अनुसूची-१४ -फारम सं० ५६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0- 102/2012

राज बिहारी सिंह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा मढ़ौरा, छपरा।)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
10-06-2015	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा, छपरा के ज्ञापांक 2198, दिनांक 24.07.12 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 10.01.2012 को जिला स्तरीय जांच दल संख्या 15 श्री कुमार मंगलम, वरीय उप समाहर्ता, सारण,छपरा के द्वारा राज बिहारी सिंह ज0वि0प्र0वि, अनु सं0-28/2007, पंचायत-सेमरी, प्रखंड-मशरक की दूकान की जांच की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई- 1. दो महीने में एक बार किरासन तेल देना, 2. दो महीने का कूपन एक ही बार जबरदस्ती फाड़ लेना। 3. खाद्यान्न समय पर नहीं देना। 4. अभिलेख अनुमंडल कार्यालय में रखना। 5. कैशमेमो नहीं देना। 6. उपकरण का सत्यापन नहीं कराना। 7. बी0पी0एल0 का खाद्यान्न 10 किलो गेहूँ एवं 10 किलो चावल देना, 6 रू0 प्रति किलो गेहूँ देना। प्रतिलीटर 17 रू0 किरासन तेल देना इत्यादि। अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा, के ज्ञापांक 529, दिनांक 19.03.12 के द्वारा उक्त अनियमितताओं के लिए कारण पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पा कर विक्रेता की अनुज्ञप्ति रदद् कर दी गयी, जिसके विरूद्ध विक्रेता के द्वारा यह अपील वाद लाया गया है। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया	

गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में कूपन प्राप्त कर ससमय अनुदानित सामग्री का वितरण उपभोक्ताओं के बीच किया जाता है। वितरण कार्य निगरानी समिति के सदस्यों के समक्ष किया जाता है। विक्रेता के विरूद्ध लगाये गए सभी आरोप बेबुनियाद और द्विराधार है। जांच की तिथि दिनांक 10.01.2012 को जांच दल के द्वारा विक्रेता से जनवरी 2011 से दिसम्बर 2011 तक का सारा अभिलेख मांगा गया। जांच दल को बताया गया कि सारा अभिलेख अनुमंडल कार्यालय में जमा है, एवं नयी पंर्जी जांच की तिथि तक सत्यापित होकर प्राप्त नहीं हो पाई थी। विक्रेता के पास कैशमैमो उपलब्ध था, लेकिन जांच दल के द्वारा इसकी मांग नहीं की गई। विक्रेता के द्वारा समय से अपने मॉप तौल उपकरण का सत्यापन करा लिया जाता है। चूँकि जांच प्रथम माह के प्रथम पक्ष में किया गया था, इसीलिए जांच दल को सत्यापन प्रतिवदेन उपलब्ध कराना संभव नहीं हो सका। विक्रेता के द्वारा अपने जवाब के साथ दिनांक 18.01.2012 का सत्यापन प्रतिवेदन संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। विक्रेता के गॉव में कई विरोधी एवं दुशमन है, जिनके द्वारा विक्रेता को परेशान करने के नीयत से जांच दल के सामने गलत शिकायत की गई थी। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में आचरण न करके गंभीर अनियमितताए बरती गई है। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रदद् रखा जाना उचित होगा।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विक्रेता के द्वारा दिए गए जवाब एवं समर्पित कागजातों के द्वारा विक्रेता के विरूद्ध लगाए गए आरोपो का खंडन नही होता है। विक्रेता के विरूद्ध काफी गंभीर आरोप लगाए गए है। साथ ही, तीन उपभोक्ताओं के द्वारा विहित प्रपत्र में विक्रेता के विरूद्ध शिकायत भी की गई है। चूँकि विक्रेता अपने पक्ष में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है, इसलिए अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत् आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 25.08.2012 को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

10/06/13

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

10/06/13

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 402 /न्या0, दिनांक 10/6/15

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विद्वान विशेष लोक अभियोजक, 7 ई0सी0, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/6

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

10/6/15